संख्या-22/2022/I/208661/2022/002-46-1002-003-4-2022

प्रेषक,

डॉ. रुपेश कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 02 सितम्बर, 2022

विषय-लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-24 (चीनी) के अन्तर्गत गैर वेतन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किस्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-126/लेखा-बजट(चीनी)/, दिनांक 05-08-2022 के द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ को अनुदान संख्या-24 (चीनी) के अन्तर्गत 20-सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) मद में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष **शासनादेश संख्या-14/2022/I/157790/2022/001-46-1002-003-4-2022, दिनांक 20.04.2022** द्वारा लेखानुदान के प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिए प्रथम किस्त की धनराशि **रू.33.176 लाख (रूपये तैंतीस लाख सत्रह हजार छः सौ मात्र)** को घटाते/समायोजित करते हुए प्राविधानित धनराशि रू.250.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय किस्त की धनराशि **रू.72.169 लाख (रूपये बहत्तर लाख सोलह हजार नौ सौ मात्र)** का निम्न विवरण के अनुसार गैर वेतन एवं अन्य वचनबद्ध मदों में आहरित करने एवं यथा आवश्यकता निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र., लखनऊ को उपलब्ध कराने हेतु आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

(धनराशि लाख रू. में)

क्र. सं.	मद विवरण	कुल प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष मद/कार्यवार फॉट	प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5
	क-सामान्य (गैर वेतन)			
1	प्रवक्ताओ का पारिश्रमिक	11.00	0.66	3.446
2	अतिथि/कृषक/कर्मचारी जलपान	10.00	0.66	3.113
3	अन्त: प्रदेशीय अध्ययन यात्रा	6.00	-	2.00
4	अन्तर प्रदेशीय अध्ययन यात्रा	7.00	-	2.333
5	पम्पलेट्स/मैगजीन प्रकाशन	2.00	-	0.66
6	प्रचार यंत्र/जनरेटर	1.00	-	0.33
7	फर्नीचर का रख-रखाव	0.50	-	0.166
8	पत्र-पत्रिकाओं पर व्यय	0.60	-	0.20
9	जीप/ कार पर व्यय	17.00	1.50	5.166
10	डाकतार पर व्यय	0.47	0.066	0.134
11	स्टेशनरी पर व्यय	3.00	0.18	0.94
12	विद्युत बिलों का भुगतान	42.00	6.00	12.00
13	विद्युत ध्वनि उपस्कर	1.50	0.33	0.39
14	भवन रख-रखाव	1.00	-	0.33
15	ट्यूबवेल रख-रखाव	1.00	0.66	0.113
16	भवन कर एवं जलकर	57.60	11.66	15.313
17	उद्यान रख-रखाव	1.00	0.10	0.30
18	फोटो कापियर/कम्प्यूटर रख-रखाव	1.25	0.33	0.306
19	टेलीफोन पर व्यय	2.00	0.66	0.446
20	कृषक स्टेशनरी	11.25	1.00	3.416
21	विविध व्यय	4.00	0.66	1.113
22	वातानुकूलन का रख-रखाव	8.00	0.66	2.446

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

23	श्रोतृशाला बीमा	0.08	-	0.026
24	कानूनी व्यय	0.25	-	0.083
25	विज्ञापन व्यय	0.25	-	0.083
26	भवन किराया गोरखपुर/ मुरादाबाद	8.00	0.73	2.423
27	लिफ्ट एवं फायर फाइटिंग सिस्टम वार्षिक रख-रखाव	8.00	1.66	2.113
28	सुरक्षागार्ड मानदेय	44.00	5.66	12.78
29	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मानदेय	0.25	-	-
	योग-	**250.00**	**33.176**	**72.169**

(रूपये बहत्तर लाख सोलह हजार नौ सौ मात्र)

<u>शर्तें एवं प्रतिबन्ध</u>:-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सहायता अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही विभिन्न मदों की धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया ही जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में विभिन्न मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(2) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि संलग्नक में उल्लिखित मदों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यय/ मद में वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी ।

(4) स्वीकृत धनराशि संलग्न सूची में अंकित मदों/कार्यो के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

अवशेष बचती है तो, इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(5) उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 72,16,900 (रुपये बहत्तर लाख सोलह हजार नौ सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 024 **लेखा शीर्षक** 2401001080304 लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ.प्र. लखनऊ को सहायता **मानक मद** 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-61-X-2022-23, दिनांक-01-09-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

डॉ. रुपेश कुमार

विशेष सचिव।

संख्या:22/2022/I/208661/2022 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ उ.प्र.।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., प्रयागराज।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
8. चीनी उद्योग अनुभाग-2 ।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

सुशील कुमार शुक्ल

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है